निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 05 वर्ष 2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर, देहरादून के माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.07.2020 से 10.08.2020 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 18.07.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विकासनगर, चकराता, त्यूणी, कालसी तहसील ।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**: विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2017-18	1024.06
2018-19	1158.38
2019-20	1479.16

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	-	-	9005000	8935540			-	69460
2018-19	-	-	13882000	13575475			-	306525
2019-20			968000	938588				29412

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त - अपर आयुक्त-सहायक आयुक्त- R.T.O- T.T.O-I - T.T.O.-II

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **- माह 01/2019, 07/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्ययः **- माह 12/2018,06/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-1 वाहनों पर देय कर की वसूली न किए जाना रु 6.55 लाख ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4(1), (1-क) व (2) के अनुसार वाहनों का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बंध में ऐसी दर पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गज़ट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक कर अथवा त्रैमासिक या मासिक कर (जैसा भी लागू है) का भुगतान न कर दिया गया हो।
धारा-9 (तीन) के अनुसार धारा-4 की उपधारा-2 के अधीन संदेय कर त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कलेंडर माह की पंद्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कलेंडर माह की पंद्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा-20(1) के अनुसार देय कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुन: नियम 24(1) के अनुसार निर्धारित समायावधि में कर जमा न किए जाने पर धारा (1) की उपधारा (9) में 5 प्रतिशत, देय माह या माह के भाग से प्रति माह की दर से लिया जायेगा।
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची (विभागीय वैबसाइट पर लेखा परीक्षा दिनांक तक उपलब्ध) के अनुसार माल वाहनों एवं यात्री वाहक वाहनों पर करों का आरोपण कर रु (326882 + 327793 = 654575) वसूल किया जाना था। जिसकी वसूली नहीं की गयी थी |
उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि वसूली कि कार्यवाही शीघ्र कर ली जाएगी |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

rkfydk &1] ;k=h okguksa ij vkjksfir cdk;k dj

SN.	Vehicle No.	Type	Seat	Tax Liability Period	Rate	Mvt	Fine	Amonut
1.	UK16PA0105	Bus	42	01-10-2019 to 31-08-2020	Rs. 100 /- seat/month	46200-00	11550-00	57750-00
2.	UK16PA0130	Bus	15	01-12-2019 to 31-08-2020	Rs. 1400/- Qtrly	4200-00	1050-00	5250-00
3.	UK16PA0133	Bus	14	01-06-2019 to 31-08-2020	Rs. 1300/- Qtrly	6500-00	2295-00	8795-00
4.	UK16PA0136	Bus	37	01-01-2020 to 31-08-2020	Rs. 1234/- Qtrly	9872-00	1731-00	11603-00
5.	UK16PA0138	Bus	14	01-09-2019 to 31-08-2020	Rs. 1300/- Qtrly	5200-00	1445-00	6645-00
6.	UK16PA0061	Bus	52	01-09-2018 to 31-08-2020	Rs. 5100/- Qtrly	40800-00	21590-00	62390-00
7.	UK16TA0060	Maxi	8	01-10-2019 to 31-08-2020	Rs. 1400/- monthly	15400-00	3850-00	19250-00
8.	UK16TA0061	Maxi	9	01-10-2019 to 31-08-2020	Rs. 1600/- monthly	17600-00	4400-00	22000-00
9.	UK16TA0062	Maxi	9	01-12-2019 to 31-08-2020	Rs. 1600/- monthly	14400-00	2880-00	17280-00
10.	UK16TA0069	Maxi	8	01-11-2019 to 31-08-2020	Rs. 1400/- monthly	14000-00	3150-00	17150-00
11.	UK16TA0072	Maxi	9	01-09-2019 to 31-08-2020	Rs. 1600/- monthly	19200-00	5280-00	24480-00
12.	UK16TA0176	Maxi	9	01-07-2019 to 31-08-2020	Rs. 1600/- monthly	22400-00	7280-00	29680-00
13.	UK16TA0180	Maxi	9	01-11-2019 to 31-08-2020	Rs. 1600/- monthly	16000-00	3600-00	19600-00
14.	UK16TA0308	Maxi	13	01-12-2019 to 31-08-2020	Rs. 2400/- monthly	21600-00	4320-00	25920-00
					Total	**253372-00**	**74421-00**	**327793-00**

rkfydk &2] eky okguksa ij vkjksfir cdk;k dj

SN.	Vehicle No.	Type	GVW	Tax Liability Period	Rate	MVT	Fine	Total
1.	BR01GB2562	HGV	25000 Kg	01-07-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	33750-00	11914-00	45664-00
2.	UA07G9887	MGV	7000 Kg	01-07-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	9450-00	3309-00	12759-00
3.	UK16CA0429	LGV	2100 Kg	01-12-2019 to 30-11-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	3600-00	1440-00	5040-00
4.	UK16CA0421	LGV	1285 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
5.	UK16CA0668	LGV	4600 Kg	01-12-2019 to 31-08-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	4050-00	1013-00	5063-00
6.	UK16CA0429	LGV	2100 Kg	01-12-2019 to 30-11-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	3600-00	1440-00	5040-00
7.	UA07R8231	HGV	15660 Kg	01-07-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	21600-00	7560-00	29160-00
8.	UA07L5457	HGV	18500 Kg	01-01-2020 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	15390-00	3079-00	18469-00
9.	UA07P8446	HGV	15660 Kg	01-01-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	30240-00	15120-00	45360-00
10.	UK07CA1385	LGV	1550 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
11.	UK07CA1401	LGV	1550 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
12.	UK07CA1432	LGV	1550 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
13.	UK07CA2186	MGV	9600 Kg	01-07-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	13500-00	4725-00	18225-00
14.	UK07CA2211	LGV	2960 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	3600-00	1260-00	4860-00
15.	UK07CA2676	LGV	1550 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
16.	UK07CA2800	HGV	16200 Kg	01-10-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	18360-00	5050-00	23410-00
17.	UK07CA2873	LGV	11950 Kg	01-10-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	12960-00	3564-00	16524-00
18.	UK07CA2884	LGV	1550 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
19.	UK07CA2898	MGV	9600 Kg	01-10-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	10800-00	2970-00	13770-00
20.	UK07CA2992	HGV	11900 Kg	01-07-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	16200-00	5670-00	21870-00
21.	UK07CA3129	LGV	2880 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	3600-00	1260-00	4860-00
22.	UK07CA3345	LGV	2960 Kg	01-10-2019 to 30-09-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	3600-00	1800-00	5400-00
23.	UK07CA3493	HGV	12500 Kg	01-10-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	14040-00	3862-00	17902-00
24.	UK07CA3662	MGV	7490 Kg	01-10-2019 to 30-09-2020	Rs. 270/- Ton Qtrly	8640-00	2376-00	11016-00
25.	UK07CA3721	LGV	1800 Kg	01-01-2020 to 31-12-2020	Rs. 1200/- Ton Yearly	2400-00	840-00	3240-00
					Total	**243780-00**	**83102-00**	**326882-00**

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-1:- निरुद्द वाहनो का मूल्याकन कर नीलामी न किये जाने के कारण लंबित वसूली ₹ 5.45 लाख ।

उत्तराखंड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 में का भुगतान न करने की दशा -कर , मोटरयानों को निरुद्द करने के संबंध में अधिनियम की धारा 22 की उप धारा 1 के अनुसार जहाँ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा मोटर वाहन कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किए बिना किसी मोटर यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, तो वहाँ ऐसा अधिकारी मोटर यान को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है। आगे उप-धारा-अनुसार जहाँ मोटर वाहन के 3 कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान नहीं करने के कारण किसी मोटर यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध की दिनाँक से 90 दिन अधीन राज(2)-के भीतर उपधारा कीय कोष में जमा न कर दिया जाए, वहाँ परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त धनराशि से ऐसे यान के सम्बंध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा।

उक्त के संबंध में अभिलेखों की जांच में पाया कि उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा अवधि में निरुद्द किए गए वाहनों के सापेक्ष रु 363550.00 बकाया देय कर एवं रु 181775.00 की शास्ति की वसूली आतिथि तक नहीं किया गया है जो कि विभाग की राजस्व संग्रह के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। आगे, कुल निरुद्द 11 वाहन के सापेक्ष किसी भी वाहन का मूल्यांकन आतिथि तक (अगस्त 2020) नहीं किया गया है। जबकि यदि निरुद्द वाहन स्वामी द्वारा देय कर एवं शास्ति का भुगतान नही किया जाता है, तो 90 दिन के अन्दर निरुद्द वाहनों की नीलामी कर देय कर एवं शास्ति की वसूली किया जाना अपेक्षित था, लेकिन विभाग के द्वारा निरुद्द किए गए वाहनों की आतिथि तक नीलामी हेतु मूल्यांकन तक भी नहीं किया गया है तो नीलामी कैसे की जाती। अतः नियमानुसार यदि यथासमय निरुद्द वाहनों की नीलामी की जाती तो रु. 545325 /- (रु.363550 देय कर+ रु 181775 शास्ति) वसूल लिया जाता और शासकीय राजस्व में जमा हो सकता था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर इकाई तथ्यों एवं आकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर में बतया कि

प्रश्न निरुद्द वाहनो का मूल्याकन कर शीघ्र ही नीलामी की कारवाही करके प्रश्नगत राशि की वसूल कर लिया जायेगा । इकाई के उत्तर से स्वतः ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि हो जाती है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 वाहनों के फ़िटनेस कार्यवाही न किए जाने से, ₹ 0.53 लाख के राजस्व वसूल न किया जाना।

Sl. No.	Regn. No.	Type	Fitness Validity	Fee	Fine	Total

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1988 के नियम 62 (2) के अन्तर्गत वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 894 दिनांक 29.12.2016 के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने के लिये किसी यान का परीक्षण किये जाने हेतु हल्के वाहन के लिये ₹ 400, मध्यम एवं भारी वाहन के लिये ₹ 600 फीस के साथ-साथ मोटरयानों की फिटनेस के लिये प्रमाण पत्र अनुदत्त करना या उसके नवीनीकरण हेतु ₹ 200 फीस भी देय है |

पुनः कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखंड कुलहान देहारादून पत्रांक 5417/ कम्प्युटर/8/79/2019 दिनांक - 23 दिसम्बर 2019 के अंतर्गत फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के लिये ₹ 200 की अतिरिक्त फीस भी देय है |

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया कि संलग्न सूची के अनुसार दर्शाये गये 62 वाहनों के फिटनेस नवीनीकरण लेखा परीक्षा की तिथि तक नहीं कराए जाने के कारण 1. फ़िटनेस प्रमाण पत्र अनुदत्त करने या उसके नवीकरण करने के लिए यान के परीक्षण का संचालन ₹ 40200 , 2 फ़िटनेस प्रमाण पत्र विलंब से अनुदत्त करने का 200 प्रति वाहन रु0 12400 इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 52600 के राजस्व वसूली की जानी थी।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे कहा कि समस्त वहाँ स्वामियों को नोटिस प्रेषित कर वाहनों के फ़िटनेस संबंधी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

Details of Fitness Fee Due – Goods Vehicle

Sl. No.	Regn. No.	Type	Fitness Validity	Fee	Fine	Total
1	UK16CA0064	LGV	26-10-2018	600	200	800
2	UK16CA0120	LGV	29-11-2019	600	200	800
3	UK16CA0824	LGV	20-03-2020	600	200	800
4	UK16CA0674	LGV	18-06-2019	600	200	800
5	UK16CA0175	MGV	06-12-2019	800	200	1000
6	UK16CA0067	LGV	20-11-2019	600	200	800
7	UK16CA0023	LGV	11-04-2018	600	200	800
8	UK16CA0168	LGV	17-04-2018	600	200	800
9	UK16CA0665	LGV	01-06-2019	600	200	800
10	UK16CA0435	LGV	14-03-2020	600	200	800
11	UK16CA1717	LGV	24-09-2019	600	200	800
12	UK16CA0382	LGV	24-04-2019	600	200	800
13	UK16CA0821	LGV	13-03-2020	600	200	800
14	UK16CA0054	LGV	08-05-2019	600	200	800
15	UK16CA0809	LGV	14-03-2020	600	200	800
16	UK16CA0771	LGV	11-12-2019	600	200	800
17	UK16CA0680	HGV	31-07-2019	800	200	1000
18	UK07CA0901	HGV	04-03-2020	800	200	1000
19	UK16CA0810	HGV	20-02-2020	800	200	1000
20	UK16CA0766	HGV	31-05-2018	800	200	1000
21	UK16CA0780	LGV	01-01-2020	600	200	800
22	UK16CA0803	LGV	06-02-2020	600	200	800
23	UK16CA0156	LGV	26-11-2019	600	200	800
24	UK16CA0196	HGV	22-05-2019	800	200	1000
25	UK07CA7477	LGV	01-11-2019	600	200	800
26	UK16CA0072	LGV	15-11-2019	600	200	800
27	UK16CA0172	LGV	03-01-2020	600	200	800
28	UK16CA0535	HGV	11-09-2019	800	200	1000
29	UK16CA0197	HGV	22-05-2019	800	200	1000
30	UK16CA0826	HGV	27-03-2019	800	200	1000
31	UK16CA0812	HGV	20-02-2020	800	200	1000
32	UK16CA0297	HGV	29-09-2019	800	200	1000
			Total	**21400**	**6400**	**27800**

Details of Fitness Fee Due – Passenger Vehicle

1	UK16TA0323	Maxi Cab	23-01-2020	600	200	800
2	UK16B3777	Motor Car	24-01-2020	600	200	800
3	UK16B3465	Motor Car	30-01-2020	600	200	800
4	UK16TA0214	Motor Cab	11-10-2019	600	200	800
5	UK16TA0146	Maxi Cab	07-12-2019	600	200	800
6	UK16TA0333	Motor Cab	27-03-2020	600	200	800
7	UK16TA0197	Motor Cab	29-02-2020	600	200	800
8	UK16PA0065	Bus	29-03-2019	600	200	800
9	UK16TA0312	Maxi Cab	07-11-2019	600	200	800
10	UK16PA0067	Bus	27-03-2020	800	200	1000
11	UK16TA0188	Motor Cab	29-05-2018	600	200	800
12	UK16TA0210	Motor Cab	01-11-2019	600	200	800
13	UK16TA0362	Maxi Cab	27-06-2019	600	200	800
14	UK16TA0264	Maxi Cab	24-05-2019	600	200	800
15	UK16PA0024	Bus	06-03-2019	800	200	1000
16	UK16PA0029	Bus	03-12-2019	800	200	1000
17	UK16TA0086	Motor Cab	13-02-2019	600	200	800
18	UK16ER0063	e-Richshaw (P)	20-04-2019	600	200	800
19	UK07TA7274	Maxi Cab	04-09-2019	600	200	800
20	UK07TA1087	Maxi Cab	27-02-2020	600	200	800
21	UK07TA3333	Maxi Cab	29-03-2017	600	200	800
22	UK16TA0287	Motor Cab	25-07-2019	600	200	800
23	UK16PA0038	Bus	25-03-2020	800	200	1000
24	UK07CA2713	Maxi Cab	28-08-2019	600	200	800
25	UK16TA0018	Maxi Cab	16-02-2016	600	200	800
26	UK16TA0020	Maxi Cab	15-03-2017	600	200	800
27	UK16TA0170	Maxi Cab	16-04-2019	600	200	800
28	UK16CA0083	Maxi Cab	18-07-2018	600	200	800
29	UK16TA0278	Motor Cab	27-06-2019	600	200	800
30	UK07TA8353	Maxi Cab	08-05-2018	600	200	800
			Total	**18800**	**6000**	**24800**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
45/2018-19	-	01,02,03
64/2016-17	-	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : **शून्य**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य **-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य **-टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री रत्नाकर सिंह	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II(Non-PSU)